दिनाक 13.10.2020	
प्रेस विज्ञप्ति–13/20	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्यवाही करने के दिये निर्देश के कम में कार्यवाही

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जरिये परिपत्र/कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये है,जिसके कम में दिनॉकः 01.01.2020से 30.09.2020 तक प्रदेश में गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः–

गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण :–

1.	गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या	3239
2.	गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	10620
3.	14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों के प्रकरण की संख्या	688
4.	14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्त की गयी सम्पत्ति रूपये	574करोड़ 71लाख 66 हजार 511रूपये

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 13.10.2020 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवा ढाबे के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें आरक्षी अनिल कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना दौराला जनपद मेरठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2020 धारा 302/34 भादवि व थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 319/2020 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद मेरठ से 25 हजार रू0 व जनपद मुजफ्फरनगर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी भेडाहेडी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2—01 मोटरसाइकिल।

—3—

जनपद बागपत/थाना बिनौली

- **25–25 हजार रू0 के दो पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर , 04 जीवित कारतूस बरामद।**

दिनांक 13.10.2020 को थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रंछाड चौराहे यात्री स्टैण्ड से दो पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–आसिफ, 2–इस्तकार उर्फ इन्तजार उर्फ कुली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आसिफ निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2–इस्तकार उर्फ इन्तजार उर्फ कुली निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **7 लाख 50 हजार रू0 कीमत की 220 बोरी (110 कुन्तल) दाल**
- **01 डीसीएम बरामद**

दिनांक 12.10.2020 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना सफदरगंज क्षेत्र से अभियुक्त रोहन अमान को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 7 लाख 50 हजार रू0 कीमत की 220 बोरी (110 कुन्तल) दाल व 01 डीसीएम बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.10.2020 को बाईपास असैनी के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा डीसीएम में लदी 220 बोरी दाल लूट की घटना अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 853/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहन निवासी चिलौकी थाना सफदरगंज बाराबंकी।

बरामदगी

1–7 लाख 50 हजार रू0 कीमत की 220 बोरी (110 कुन्तल) दाल।
2–01 डीसीएम।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर, थाना कोतवाली नगर

- **तीन अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 18 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 13.10.2020 को थाना जैदपुर व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जनपद के विभिन्न स्थानों से तीन अभियुक्तों 1–रियाज उर्फ लचूड़े 2–सिरताज 3–आरिफ उर्फ अरफू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 18 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद व आसपास के क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना जैदपुर व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रियाज उर्फ लचूड़े नि0 टिकरा थाना जैदपुर बाराबंकी।
2–सिरताज नि0 रानीमऊ तराई थाना टिकैतनगर बाराबंकी।
3–आरिफ उर्फ अरफू नि0 रानीमऊ तराई थाना टिकैतनगर बाराबंकी।

बरामदगी

1– चोरी की 18 मोटरसाइकिल।

जनपद श्रावस्ती/थाना भिनगा

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी, गिरफ्तार।**

दिनांक 13.10.2020 को थाना भिनगा एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भयापुरवा गॉव से पहले जंगल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बहाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना भिनगा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–161/2020 में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना भिनगा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बहाल निवासी बन्ठिहवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती ।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 03 खोखा कारतूस बरामद।**

दिनांक 13.10.2020 को थाना गौरीगंज एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैंठा बार्डर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेरा बन्दी की गयी, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी अंकित घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल घायल हो गया ,जिसे

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 03 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद सुल्तानपुर, अमेठी व लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जगदीशपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 308/20 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना गौरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी हलियापुर पिपरी, थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 03 खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.10.2020 को थाना हाफिजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ब्रजनाथपुर नहर के पास से मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेरा बन्दी की गयी, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी साहिब घायल हो गया ,जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 01 जीवित कारतूस व एक मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी व एच0एस0 है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पर लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाफिजपुर के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना हाफिजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिब निवासी ग्राम बड़ौदा सिहानी थाना हाफिजपुर ,जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 01 जीवित कारतूस।
2–01 मोटर साइकिल।

जनपद हाथरस/थाना कोतवाली हाथरस

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की लाइसेंसी रिवाल्वर, लैपटाप, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.10.2020 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त आनन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की लाइसेन्सी रिवाल्वर मय 12 कारतूस , लैपटाप, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक:30.09.2020 को हनुमानगली नयागंज, थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्रान्तर्गत वादी के घर से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसमें वादी की लाइसेन्सी रिवाल्वर, लेपटाप सहित अन्य समान चोरी हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद रिवाल्वर आदि उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना कोतवाली हाथरस पर अभियेाग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आनन्द निवासी सीयल गॉधी पार्क ,थाना कोतवाली जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—चोरी की लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, मय 12 जीवित कारतूस ।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

3—चोरी का लैपटाप ,घड़ी आदि ।

जनपद सम्भल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त मो0शाद को धारा 304 भादवि में 10 वर्ष कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————